भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †591

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

समुद्र-तट (बीच) सुरक्षा हेतु नए कानून/दिशा-निर्देश

†591. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा देशभर में समुद्र-तट (बीच) की सुरक्षा के संबंध में लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार समुद्र-तट (बीच) की सुरक्षा मामले को राज्य की बजाय राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में रखने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का गोवा जैसे राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है जहां समुद्र-तट (बीच) की सुरक्षा चिंता का विषय है;

(घ) क्या सरकार समुद्र-तट (बीच) की सुरक्षा के लिए नए कानून/दिशा-निर्देश बनाने की योजना बना रही है; और

(ङ) क्या समुद्र-तट (बीच) की सुरक्षा के मामलों में विशेषज्ञ नियुक्त करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा मूलतः राज्य सरकार का विषय है। पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने जल आधारित कार्यकलापों सहित एडवेंचर पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीतिक दस्तावेज में एडवेंचर पर्यटन सुरक्षा प्रबंधन कार्यढांचे के सुदृढ़ीकरण को कार्यनीतिक स्तम्भों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है।

गोवा की राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने गोवा राज्य में समुद्र तटों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्रतट सुरक्षा तथा लाइफगार्डिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मै. दृष्टि लाइफसेंविंग प्रा. लि. को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समुद्र तटों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ पर कड़ी निगरानी रखने के लिए गोवा राज्य के विनिर्दिष्ट समुद्र तटों पर तालुका स्तर के पर्यवेक्षक और पर्यटक वॉर्डन भी तैनात किए हैं।

****